निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 310) पटना, सोमवार, 6 अप्रील 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2026

एस0 ओ0–94, दिनांक 6 अप्रील 2026––न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची–1 (ब) के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची –1 (ब) के स्तभं–02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1 (अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित महिनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1 (अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
जुलाई, 25	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
अगस्त, 25	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
सितम्बर, 25	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
अक्टूबर, 25	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
नवम्बर, 25	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
दिसम्बर, 25	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
			योग :–58178.62
वर्ष 2025 के द्वितीय अर्धांश जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 का औसत– **58178.62÷6=9696.43**			

अनुसूची–1(ब)

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक–01.10.2025 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	कृषि नियोजन	अधिसूचना संख्या –60,61 दिनांक– 23.09.2025 गजट सं०–1561, दिनांक–24.09.2025	कृषि नियोजन

अनुसूची–II

क्र0 सं0	कामागारों की कोटि	दिनांक–01.09.2022+ 01.10.2022 +01.04.2023+ 01.10.2023+ 01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक– 01.04.2026 से प्रभावी होगी	01.04.2026 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए।	348.00+7.00+14.00+7.00+14.00 +1.00+11.00+3.00=405.00	8.00	413.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00+252.00+ 503.00+ 252.00+503.00+ 53.00+399.00+ 126.00=14675.00	272.00	14947.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/ पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा।	9795.00+196.00+392.00+196.00 +392.00+41.00+311.00+ 98.00=11421.00	212.00	11633.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।		

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा । परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई–दिसम्बर, 2025** के औसत के आधार पर **1 अप्रैल, 2026** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या–5/एम0डब्लू0–40–17/2021–48/श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

1 अप्रील 2026

एस0 ओ0–95–एस0 ओ0–94 दिनांक 6 अप्रील 2026 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या–5/एम0डब्लू0–40–17/2021–49/श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

The 1st April 2026

S.O. 94, Dated The 6th April 2026— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	**Index No Base Year (2016-100)**	**Link Factor Change for base year**	**Changed Index No. for base year (1960-100)**
1	2	3	4
July-2025	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
August-2025	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
September-2025	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
October-2025	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
Novemberer-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
December-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
			Total:-58178.62
Second Half Yearly Average of the year July- to December, 2025 **58178.62÷6=9696.43**			

Schedule-1(B)

Sl.no	**Name of employment**	**Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023**	**Total**
1	**2**	**3**	**4**
1	Agriculture Operations	Notification No- (60,61) Dated- 23.09.2025 Gazette No.- 1561 Dated- 24.09.2025	Agriculture Operations

Schedule-II

Sl. No	**Categories of Worker**	**From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)**	**Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2026 (In Rs.)**	**Total rates of wages effective from the date 01.04.2026 Column (3+4)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00+7.00+14.00+7.00+14.00 +1.00+11.00+3.00=405.00	8.00	413.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00+252.00+503.00+252.0 0+503.00+53.00+399+ 126.00= 14675.00	272.00	14947.00 Permonth

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2026 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2026 Column (3+4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3	Tractor Khalasi/ Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00+196.00+392.00+196.00 +392.00+41.00+311.00+98= 14421.00	212.00	14633.00 Permonth
4	Harvesting	**One bundle in 10 bundle of harvested crops.**		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in colum-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2025** will be payable at the aforesaid rates form **1st April, 2026** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No- 5/M.W.-40-17/2021-48/LR)
By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 310-571+100-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in